





फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मगनी सिंह विपक्षी अमर सिंह
 किस्म मुकदमा 212/23 पत्रावली संख्या 86/24 सन 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><u>21/01/23</u> पत्रावली आज कम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक <u>06/03/23</u> को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर SDO, मावली </p> <p><u>26/01/23</u> वकूलायत को पत्रावली के लिये मौका मिला है। अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>09/01/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  SDO, मावली </p> <p><u>09/01/24</u> पत्रावली पेश 5... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी पक्षों आज अवकाश/भ्रमण/सिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>05/03/24</u> को पेश हो</p> <p><u>05/03/24</u> पत्रावली पेश 5... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रैसपो उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी पक्षों आज अवकाश/भ्रमण/सिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>11/06/24</u> को पेश हो</p> <p><u>11/06/24</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>अवकाश</u> के लिये <u>अवकाश</u> है। अतः <u>अवकाश</u> को <u>अंतिम</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>30/07/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (SDO) मावली </p>	<p style="text-align: center;">  </p>

30/7/24

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप...
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि०...
को पेश हो।

(SDO) ...

15/10/24

आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावला
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक...
को पेश हो।

31°

23/10/24

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप...
के लिये मौका चाहते है। अतः...
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि०...
को पेश हो।

(SDO) ...

12/12/24 पत्रावली पेश करे) आदि. पथी

उप. आदि. पथी द्वारा लक्ष्मीर किमा
की मूल बाढ़ दिनांक 23/10/24 को
वादी द्वारा विज्ञे कर लिखा गया।
वादी का मूल बाढ़ दिनांक 23/10/24
को विज्ञे हो चुका है, से से में अब
इस अपार निवेद्याका के पा. पत्र
को चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है।
अतः पथी का पा. पत्र अन्तर्गत धारा
212 K.T. Act इसी स्तर पर हो प
किमा जाकर खारिज किमा जाना है।
पत्रावली किसल सुमार होकर मूल
बाढ़ के साथ संलग्न रहे।

निर्णय करे ईजलास सुनाया गया।



जिजा (OIC)

सहायक कलेक्टर
(SDO) जहानाबाद